

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम- 26)

अज अदालत- अपर जिला कलक्टर, मुकाम- नागौर

अपीलान्त

बनाम





रेस्पोंडेंट

सन्दीपसिंह पुत्र बजरंगसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम
बुटाटी तहसील डेगाना जिला नागौर।

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार सांजू
जिला नागौर।

किस्म मुकदमा- राजस्व अपील

सं. 123/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही तय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.11.19	<p>अपीलान्त ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उप तहसीलदार सांजू द्वारा सरकार बनाम सन्दीपसिंह प्रकरण सं. 42/18 मे पारित निर्णय दिनांक 23.02.18 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्त Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट जरिये सम्मन तलब हो। विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया जावे। पत्रावली दिनांक 30.12.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> अपर जिला कलक्टर नागौर</p>	<p>1572-73 29.11 (60-1)</p>
30.12-19	<p>कमीशनर कलकत्ता प्रकरण, L.C. का रेकार्ड प्राप्त हुआ। कमीशनर कलकत्ता प्रकरण नं 1407 press करने से कमीशनर कलकत्ता की कमीशन नोट प्रेस के खारिज की गयी है। कमीशनर कलकत्ता कमीशनर। नोट प्रेस का दोसा दायीर रहता है</p> <p style="text-align: center;"> अपर कलक्टर, नागौर</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>पुनः नोट  30/12/19</p>